तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती मधु मोदी बनाम राजस्थान राज्य सरकार** **189/19 (जी.सी.एम.एस न. 2019/00150)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.12.20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. पेश किया जिस पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई, उन्होने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के उपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 11.06.2019 की क्रियान्विति में तहसीलदार सांगानेर ने अग्रिम कार्यवाही कर न्यायोचित आदेश पारित फरमा दिया है जिसकी अनुपालना होकर राजस्व भू अभिलेखों में इन्द्राज किये जा चुके है, उपरोक्त वर्णित स्थिति में यह अपील अब सारहीन हो चुकी है, इसलिये अब अपीलार्थीया उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहती है। अतः उक्त अपील को विड्रो करने की अपीलार्थीया को स्वीकृति प्रदान फरमाई जावें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2019 की क्रियान्विति में तहसीलदार द्वारा अग्रिम कार्यवाही कर आदेश पारित किया जा चुका है तथा अपीलार्थीया स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाह रही है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया द्वारा अपील विड्रो किये जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(डॉ0समित शर्मा)** संभगीय आयुक्त, जयपुर।	